

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2007

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 का (बिहार अधिनियम 6,2006) संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-18 का संशोधन।— (i)** बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-18(5) की प्रथम कंडिका में शब्द "आयुक्त" शब्द 'सरकार' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-18(5) की द्वितीय कंडिका "इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप-मुखिया ऐसी ग्राम पंचायत में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुखिया या उप-मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।" के स्थान पर निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

"निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप मुखिया हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप मुखिया ऐसी ग्राम पंचायत में उसकी शेष अवधि के दौरान मुखिया या उप मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-18(6) को विलोपित किया जाता है।

3. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-44 का संशोधन।— (i)** उक्त अधिनियम की धारा-44(4) में शब्द "आयुक्त" शब्द "सरकार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-44(4) की द्वितीय कंडिका में "इस प्रकार हटाया गया प्रमुख/उप प्रमुख ऐसी पंचायत समिति की शेष अवधि के दौरान प्रमुख/उप प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष की जा सकेगी।" निम्नलिखित कंडिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

"निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया प्रमुख या उप-प्रमुख हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया प्रमुख या उप-प्रमुख ऐसी पंचायत समिति में उसकी शेष अवधि के दौरान प्रमुख या उप प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

4. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-70 का संशोधन।— (i)** उक्त अधिनियम की धारा- 70(5) की प्रथम कंडिका में उल्लेखित "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "सरकार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-70(5) की द्वितीय कंडिका "इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे जिला परिषद् में उसकी शेष कार्यावधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील सदस्य, राजस्व पर्वद के समक्ष की जा सकेगी।" निम्नलिखित कंडिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

"निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी जिला परिषद् में उसकी शेष अवधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

5. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-97 का संशोधन** — (i) उक्त अधिनियम की धारा -97(5) की प्रथम कंडिका में शब्द "आयुक्त" शब्द "सरकार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-97(5) की द्वितीय कंडिका "इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप-सरपंच ऐसी ग्राम कचहरी में उसकी शेष पदावधि के दौरान सरपंच या उप-सरपंच या ग्राम कचहरी के पंच के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा" के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

"निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप-सरपंच हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप-सरपंच ऐसी ग्राम कचहरी में उसकी शेष अवधि के दौरान सरपंच या उप-सरपंच या ग्राम कचहरी के पंच के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-97(6) को विलोपित किया जाता है।

6. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-136 का संशोधन** — उक्त अधिनियम की धारा-136 की उपधारा (1) में शब्द "ग्राम पंचायत के सदस्य" के पश्चात शब्द "सरपंच, ग्राम कचहरी का पंच" अंतःस्थापित किये जाएंगे।

7. **बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-152 में संशोधन** — उक्त अधिनियम की धारा-152(1) एवं धारा-152(3) में शब्द "या आयुक्त" विलोपित किये जाएंगे।

Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2007

AN

ACT

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty eighth year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement :- (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section-18 of Bihar Act 6, 2006 :-

(i) In the first para of Section-18(5) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) (hereinafter referred to as the Act) the word "Commissioner" shall be substituted by the word "Government".

(ii) The second paragraph of Section-18(5) of the said Act " The Mukhiya or Up-Mukhiya so removed shall not be eligible for re-election as Mukhiya or Up-Mukhiya or Member of Gram Panchayat during the remaining term of office of such Gram Panchayat.", shall be substituted by the following para, namely :—

"The Mukhiya or Up-Mukhiya so removed on the charge of being found guilty of misuse of vested powers or of misconduct in the discharge of his duties shall not be eligible for election to any panchayat bodies till further five years from the date of such removal. The Mukhiya or Up-Mukhiya so removed on rest of the charges shall not be eligible for re-election as Mukhiya or Up-Mukhiya or Member of Gram Panchayat during the remaining term of office of such Gram Panchayat.",

(iii) Section-18(6) of the Act shall be deleted.

3. **Amendment of section–44 of Bihar Act 6, 2006 :-** (i) In Section – 44(4) of the Act, the word "Commissioner" shall be substituted by "Government".

(ii) The second paragraph in section–44(4) of the said Act “The Pramukh or Up-Pramukh so removed shall not be eligible for re-election as Pramukh or Up-Pramukh of Panchayat Samiti during the remaining term of office of such Panchayat Samiti. Appeal shall lie before the Member, Board of Revenue against the order of the Commissioner”, shall be substituted by the following para, namely:—

"The Pramukh or Up-Pramukh so removed on the charge of being found guilty of misuse of vested powers or of misconduct in the discharge of his duties shall not be eligible for election to any panchayat bodies till further five years from the date of such removal. The Pramukh or Up-Pramukh so removed on rest of the charges shall not be eligible for re-election as Pramukh or Up-Pramukh during the remaining term of office of such Panchayat Samiti."

4. **Amendment of section–70 of Bihar Act 6, 2006 :-** (i) In the first para of Section–70(5) of the Act the word "Commissioner" shall be substituted by the word "Government".

(ii) The second paragraph in section–70(5) of the said Act “The Adhyaksha or Upadhyaksha so removed shall not be eligible for re-election as Adhyaksha or Upadhyaksha during the remaining term of office of such Zila Parishad. Appeal shall lie before the Member, Board of Revenue against the order of the Commissioner”, shall be substituted by the following para, namely:—

"The Adhyaksha or Upadhyaksha so removed on the charge of being found guilty of misuse of vested powers or of misconduct in the discharge of his duties shall not be eligible for election to any panchayat bodies till further five years from the date of such removal. The Adhyaksha or Upadhyaksha so removed on rest of the charges shall not be eligible for re-election as Adhyaksha or Upadhyaksha during the remaining term of office of such Zila Parishad."

5. **Amendment of section – 97 of Bihar Act 6, 2006 :-** (i) In the first para of section–97(5) of the Act the word "Commissioner" shall be substituted by the word "Government".

(ii) The second paragraph in Section–97(5) of the said Act “ The Sarpanch or Up-Sarpanch so removed shall not be eligible for re-election as Sarpanch or Up-Sarpanch or Panch of Gram Katchahry during the remaining term of office of such Gram Katchahry.”, shall be substituted by the following para, namely :—

"The Sarpanch or Up-Sarpanch so removed on the charge of being found guilty of misuse of vested powers or of misconduct in the discharge of his duties shall not be eligible for election to any panchayat bodies till further five years from the date of such removal. The Sarpanch or Up-Sarpanch so removed on rest of the charges shall not be eligible for re-election as Sarpanch or

Up-Sarpanch or Panch of Gram Katchahry during the remaining term of office of such Gram Katchahry.”

6. **Amendment of Section-97 of Bihar Act 6, 2006 :-** Section-97(6) of the Act is deleted.

7. **Amendment of Section-152 of Bihar Act 6, 2006 :-** In Section -152(1) and 152(3) of the Act the words "or Commissioner" are deleted.